

राजस्थान सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

मिसल संख्या :- 176/2019


—: आदेश :—


दिनांक :- 07.09.2020

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र व तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	हरड़िया	2074-77	146	दोदराम	देदराम
2	हरड़िया	2074-77	66	डेडाराम पुत्र श्योलाराम	देदराम पुत्र श्योलाल

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि पर रहन या स्थगन हो तो रहन मुक्त होने/स्थगन आदेश हटने के उपरान्त ही निर्णय की पालना की जावे।

  
(शिवपाल जाट)  
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

प्रतिलिपि :- 

1. तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी को वारस्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया शीशराम पुत्र देदराम जाति जाट निवासी दलेलपुरा को सूचनार्थ।

853-54  
9/9/20

  
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

